



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-07032023-244177
CG-DL-W-07032023-244177

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 4] नई दिल्ली, फरवरी 26—मार्च 4, 2023, शनिवार/ फाल्गुन 7—फाल्गुन 13, 1944
No. 4] NEW DELHI, FEBRUARY 26—MARCH 4, 2023, SATURDAY/ PHALGUNA 7—PHALGUNA 13, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

का.नि.आ. 54—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय (सांख्यिकीय सहायक और आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटर) भर्ती नियम, 1995 को, जहाँ तक उसका संबंध सांख्यिकीय सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय में सांख्यिकीय सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय, सेना क्रय संगठन, सांख्यिकीय सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
सांख्यिकीय सहायक	1*(2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)

चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री जिसमें अर्थशास्त्र या वाणिज्य या गणित या सांख्यिकी अथवा कारबार अध्ययन एक विषय के रूप में रहा हो। (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान में सांख्यिकीय कार्य और ग्राफ्स तैयार करने का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हता अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के

		किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त अथवा कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी :
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300 रु) के पदों में या समतुल्य में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और (ख) जिसके पास स्तम्भ-7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथा विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो।
टिप्पण :- प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त निदेशक/उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष 2. उप निदेशक/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - सदस्य 3. सेना क्रय संगठन से उप निदेशक या समतुल्य प्रास्थिति के अधिकारी, रक्षा मंत्रालय (सेना) एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए/34032/एसए/मुप्रअ/भर्ती-2]

जितेन्द्र कुमार, निदेशक

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 28th February, 2023

S.R.O. 54.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Defence (Statistical Assistant and Data Entry Operators) Recruitment Rules, 1995, in so far as they relate to the post of Statistical Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Statistical Assistant in the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), Army Purchase Organisation, Statistical Assistant (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix.—The number of the said post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Statistical Assistant	1* (2023) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400 - 12400/-)	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(6)	(7)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Central Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by Central Government.)	(i) Bachelor degree from a recognised University or Institute with Economics or Commerce or Mathematics or Statistics or Business studies as one of the subjects. (ii) Two years experience in statistical work and preparation of graphs in Central Government or State Government or Union territories Administration or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutes.

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Note 1 : Qualification is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
---	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits	By deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)
Deputation (including short term contract) : Officer of the Central Government or State Government or Union territories Administration or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertakings or Recognised University or Recognised Research Institute :- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) having six years of regular service in posts in Level 5 (Rs. 29200-92300/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruitment in column (7). Note : The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee, consisting of - 1. Joint Director/ Deputy Chief Administrative Officer, Office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence. -Chairman 2. Deputy Director/ Senior Administrative Officer, Office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence. -Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

3.	Officer of the status of Deputy Director or equivalent from Army purchase Organisation, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), Ministry of Defence.	-Member	
----	---	---------	--

[F. No. A/34032/SA/CAO/R-II]

JITENDRA KUMAR, Director

छावनी बोर्ड, अल्मोड़ा

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2023

का.नि.आ. 55.—छावनी बोर्ड, अल्मोड़ा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 66 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्यांक 1022/XI-I-22-सी तारीख 08 अप्रैल, 1932, 3291-II/XI-22-सी तारीख 17 दिसंबर, 1932 और का.नि.आ. 12/16/एचटीएन तारीख 13 अक्तूबर, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचनाओं में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“यदि कर राशि ई-छावनी पोर्टल पर स्वयं-सेवा मोड द्वारा ऑनलाइन जमा की जाती है और छावनी बोर्ड, अल्मोड़ा के कार्यालय में मैनुअल रूप से या हेल्प डेस्क के माध्यम से जमा नहीं की जाती है तो चालू वित्तीय वर्ष की मांग पर कर पर 2% का रिबेट दिया जाएगा।”

[फा. सं. XII/16/398]

मुख्य अधिशासी अधिकारी

छावनी बोर्ड, अल्मोड़ा

CANTONMENT BOARD, ALMORA

New Delhi, the 15th February, 2023

S.R.O. 55.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 66 of the Cantonments Act, 2006, Cantonment Board, Almora, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments further to amend the notifications number 1022/XI-I-22-C dated the 08th April, 1932, 3291-II/XI-22-C-29 dated the 17th December, 1932 and S.R.O. 12/16/HTN dated the 13th October, 1987, namely:-

In the said notifications, after the existing entries, the following shall be inserted namely:-

“A rebate of 2% will be granted on tax on the demand of current financial year if the tax amount is deposited online by self-service mode on E-Chhawani portal and not manually or through help desk in the office of Cantonment Board, Almora.”

[F. No. XII/16/398]

Chief Executive Officer,

Cantonment Board, Almora

छावनी बोर्ड, नैनीताल

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2023

का.नि.आ. 56.—छावनी बोर्ड, नैनीताल केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 66 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्यांक 558 तारीख 01 अप्रैल, 1941 और का.नि.आ. 17/10/डब्ल्यूटी/3034/सी तारीख 25 फरवरी, 1995 का और संशोधन करने के लिए हुए निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचनाओं में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“यदि कर राशि ई-छावनी पोर्टल पर स्वयं-सेवा मोड द्वारा ऑनलाइन जमा की जाती है और छावनी बोर्ड, नैनीताल के कार्यालय में मैनुअल रूप से या हेल्प डेस्क के माध्यम से जमा नहीं की जाती है तो चालू वित्तीय वर्ष की मांग पर कर पर 2% का रिबेट दिया जाएगा।”

[फा. सं. 17/10/सी]

मुख्य अधिशासी अधिकारी

छावनी बोर्ड, नैनीताल

CANTONMENT BOARD, NAINITAL

New Delhi, the 15th February, 2023

S.R.O. 56.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 66 of the Cantonments Act, 2006, Cantonment Board, Nainital, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments further to amend the notifications number 558 dated the 1st April, 1941 and S.R.O. 17/10/WT/3034/C dated the 25th February, 1995, namely:-

In the said notifications, after the existing entries, the following shall be inserted namely:-

“A rebate of 2% will be granted on tax on the demand of current financial year if the tax amount is deposited online by self-service mode on E-Chhawani portal and not manually or through help desk in the office of Cantonment Board, Nainital.”

[F. No. 17/10/C]

Chief Executive Officer,

Cantonment Board, Nainital

छावनी बोर्ड, शिलांग

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2023

का.नि.आ. 57.—छावनी बोर्ड, शिलांग केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 66 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्यांक 642 ए.पी. तारीख 22 जनवरी, 1932, 5259 ए.पी. तारीख 27 जुलाई, 1933, 123/1/जी/सी और एल/45 तारीख 20 जनवरी, 1945 और 126/1/जी/सी और एल/45 तारीख 03 फरवरी, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचनाओं में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“यदि कर राशि ई-छावनी पोर्टल पर स्वयं-सेवा मोड द्वारा ऑनलाइन जमा की जाती है और छावनी बोर्ड, शिलांग के कार्यालय में मैनुअल रूप से या हेल्प डेस्क के माध्यम से जमा नहीं की जाती है तो चालू वित्तीय वर्ष की मांग पर कर पर 2% का रिबेट दिया जाएगा।”

[फा. सं. एसएचजी/4/टीसी/ईछावनी/डीई/106]

मुख्य अधिशासी अधिकारी

छावनी बोर्ड, शिलांग

CANTONMENT BOARD, SHILLONG

New Delhi, the 15th February, 2023

S.R.O. 57.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 66 of the Cantonments Act, 2006, Cantonment Board, Shillong, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments further to amend the notifications number 642 A.P. dated the 22nd January, 1932, 5259 A.P. dated the 27th July, 1933, 123/1/G/C&L/45 dated the 20th January, 1945 and 126/1/G/C&L/45 dated the 03rd February, 1945, namely:-

In the said notifications, after the existing entries, the following shall be inserted namely:-

“A rebate of 2% will be granted on tax on the demand of current financial year if the tax amount is deposited online by self-service mode on E-Chhawani portal and not manually or through help desk in the office of Cantonment Board, Shillong.”

[F. No. SHG/4/TC/ECHHAWANI/DE/106]

Chief Executive Officer,

Cantonment Board, Shillong

छावनी बोर्ड, जलापहाड़

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2023

का.नि.आ. 58.—छावनी बोर्ड, जलापहाड़ केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 66 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 12683 पी तारीख 19 अक्तूबर, 1935, का.नि.आ. 948 एम तारीख 07 मार्च, 1931 का.नि.आ. 456 तारीख 18 मार्च, 1950 और का.नि.आ. 451 तारीख 10 अक्तूबर, 1953 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचनाओं में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“यदि कर राशि ई-छावनी पोर्टल पर स्वयं-सेवा मोड द्वारा ऑनलाइन जमा की जाती है और छावनी बोर्ड, जलापहाड़ के कार्यालय में मैनुअल रूप से या हेल्प डेस्क के माध्यम से जमा नहीं की जाती है तो चालू वित्तीय वर्ष की मांग पर कर पर 2% का रिबेट दिया जाएगा।”

[फा. सं. जेसीबी/359/VII/49/सी]

मुख्य अधिशासी अधिकारी

छावनी बोर्ड, जलापहाड़

CANTONMENT BOARD, JALAPAHAR

New Delhi, the 15th February, 2023

S.R.O. 58.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 66 of the Cantonments Act, 2006, Cantonment Board, Jalapahar, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments further to amend the notifications number S.R.O. 12683 P dated the 19th October, 1935, S.R.O. 948 M dated the 07th March, 1931, S.R.O. 456 dated the 18th March, 1950 and S.R.O. 451 dated the 10th October, 1953, namely:-

In the said notifications, after the existing entries, the following shall be inserted namely:-

“A rebate of 2% will be granted on tax on the demand of current financial year if the tax amount is deposited online by self-service mode on E-Chhawani portal and not manually or through help desk in the office of Cantonment Board, Jalapahar.”.

[F. No. JCB/359/VII/49/C]

Chief Executive Officer,

Cantonment Board, Jalapahar

छावनी बोर्ड, लेबांग

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2023

का.नि.आ. 59.—छावनी बोर्ड, लेबांग केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 66 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 1817 पी तारीख 30 जनवरी, 1936, का.नि.आ. 1152 तारीख 03 अगस्त, 1940, का.नि.आ. 79 तारीख 17 जून, 1950, का.नि.आ. 23 तारीख 08 जनवरी, 1958 और का.नि.आ. 35/IX/ 24/एल तारीख 19 नवंबर, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचनाओं में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“यदि कर/उपकर राशि ई-छावनी पोर्टल पर स्वयं-सेवा मोड द्वारा ऑनलाइन जमा की जाती है और छावनी बोर्ड, लेबांग के कार्यालय में मैनुअल रूप से या हेल्प डेस्क के माध्यम से जमा नहीं की जाती है तो चालू वित्तीय वर्ष की मांग पर कर/उपकर पर 2% का रिबेट दिया जाएगा।”

[फा. सं. 1.सीबी/113/X/94/1]

मुख्य अधिशासी अधिकारी

छावनी बोर्ड, लेबांग

CANTONMENT BOARD, LEBONG

New Delhi, the 15th February, 2023

S.R.O. 59.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 66 of the Cantonments Act, 2006, Cantonment Board, Lebong, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments further to amend the notifications number S.R.O. 1817 P dated the 30th January, 1936, S.R.O. 1152 dated the 3rd August, 1940, S.R.O. 79 dated the 17th June, 1950, S.R.O. 23 dated the 08th January, 1958 and S.R.O. 35/IX/24/L dated the 19th November, 1996, namely:-

In the said notifications, after the existing entries, the following shall be inserted namely:-

“A rebate of 2% will be granted on tax/cess on the demand of current financial year if the tax/cess amount is deposited online by self-service mode on E-Chhawani portal and not manually or through help desk in the office of Cantonment Board, Lebong.”.

[F. No. 1.CB/113/X/94/1]

Chief Executive Officer,

Cantonment Board, Lebong

छावनी बोर्ड, सिकंदराबाद

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2023

का.नि.आ. 60.—छावनी बोर्ड, सिकंदराबाद केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 66 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 330 तारीख 21 अक्तूबर, 1967, का.नि.आ. 350 तारीख 08 अगस्त, 1970, का.नि.आ. 5/एससीबी/6775 तारीख 09 फरवरी, 1990 और का.नि.आ. 5/एससीबी/6776 तारीख 09 फरवरी, 1990 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचनाओं में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“यदि कर राशि ई-छावनी पोर्टल पर स्वयं-सेवा मोड द्वारा ऑनलाइन जमा की जाती है और छावनी बोर्ड, सिकंदराबाद के कार्यालय में मैनुअल रूप से या हेल्प डेस्क के माध्यम से जमा नहीं की जाती है तो चालू वित्तीय वर्ष की मांग पर कर पर 2% का रिबेट दिया जाएगा।”

[फा. सं. एससीबी/टीएस/2021/152]

मुख्य अधिशासी अधिकारी

छावनी बोर्ड, सिकंदराबाद

CANTONMENT BOARD, SECUNDERABAD

New Delhi, the 15th February, 2023

S.R.O. 60.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 66 of the Cantonments Act, 2006, Cantonment Board, Secunderabad, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments further to amend the notifications number S.R.O. 330 dated the 21st October, 1967, S.R.O. 350 dated the 08th August, 1970, S.R.O. 5/SCB/6775 dated the 09th February, 1990 and S.R.O. 5/SCB/6776 dated the 09th February, 1990, namely:-

In the said notification, after the existing entries, the following shall be inserted namely:-

“A rebate of 2% will be granted on tax on the demand of current financial year if the tax amount is deposited online by self-service mode on E-Chhawani portal and not manually or through help desk in the office of Cantonment Board, Secunderabad.”

[F. No. SCB/TS/2021/152]

Chief Executive Officer,

Cantonment Board, Secunderabad